जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में नयी पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन हेतु डी0पी0आर0 गठन एवं तकीनीकी अनुमोदन के सन्दर्भ में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक– 01.03.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 01.03.2023 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी कौशाम्बी की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहे।

1	जिलाधिकारी, कौशाम्बी।	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	उपाध्यक्ष
3	प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
5	जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
7	जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
8	जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
9	जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।	सदस्य
10	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, कौशाम्बी।	सदस्य
11	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।	सदस्य सचिव
12	प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 के0पी0टी0एल0 कौशाम्बी।	कार्यदायी संस्था

सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा पूर्व की बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया, जिसका समिति ने सर्वसम्मिति से अनुमोदन किया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डब्ल्यू0एस0एम0, कौशाम्बी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सदस्य सचिव द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित फर्म द्वारा जनपद कौशाम्बी मे जल जीवन मिशन फेज–3 के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रामों ने से 09 नग नयी पेयजल योजनाओं के डी0पी0आर0 प्रस्तुत किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

(रू. 05.00 करोड से कम लागत के डी0पी0आर0)

क्र0 सं0	विधाना सभा क्षेत्र का नाम	पेयजल योजना का नाम	विकास खण्ड	योजना में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	कुल वर्क कास्ट (रू0 लाख में)	सेन्टेज (रू0 लाख में)	कुल डी0पी0आर0 लागत (रू0 लाख में)	डिजाइन वर्ष में प्रति व्यक्ति लागत (रू0 हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MANJHANPUR	AWANA ALAMPUR WATER SUPPLY SCHEME	Kaushambi	2	831	344.60	36.50	381.10	5944
2	MANJHANPUR	BAKORHA WATER SUPPLY SCHEME	Kaushambi	2	370	203.99	21.61	225.60	6387
3	MANJHANPUR	MAHANGUPUR WATER SUPPLY SCHEME	Kaushambi	1	343	237.65	25.17	262.82	9277
4	SIRATHU	ROOPNARAYANPUR SHAILABI UPERHA WATER SUPPLY SCHEME	Sirathu	2	324	241.07	25.54	266.60	6965
5	SIRATHU	Bidanpur ahmad Karari	Sirathu	2	490	259.14	27.45	286.59	6577
6	MANJHANPUR	Ghamsira Water Supply Scheme	Kaushambi	1	310	149.79	15.87	165.66	5495
7	MANJHANPUR	Chak Amadipur Water Supply Schemes	Kaushambi	1	741	249.92	26.48	276.40	4371
8	MANJHANPUR	Raksarai Water Supply Scheme	Kaushambi	1	1022	360.36	38.17	398.53	3863
9	SIRATHU	Garai Water Supply Scheme	Kada	2	590	371.56	39.36	410.92	5576

बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निम्न निर्णय लिए गये :–

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत की गयी 09 नग नयी पेयजल योजना के डी0पी0आर0 को इस प्रतिबद्धता के साथ अनुमोदन हेतु निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त आंगणन के कार्यो के सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उसे सुनिश्चित करने एवं अनुपालन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म मे0 के0पी0टी0एल0 का होगा।

(कार्यवाही– मे0 के0पी0टी0एल0)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे0 के0पी0टी0एल0 द्वारा तैयार किये गये है। उपरोक्त प्राक्कलनों में यदि भविष्य में अन्य संस्था/जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्यो के विपरीत विरचन अथवा दरों में भिन्नता परिलक्षित होती है तो इसका सम्पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। साथ ही साथ फर्म उक्त डी0पी0आर0 को अपने व्यय पर संशोधित करेगी, जिसके लिए फर्म को कोई भी अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा।

(कार्यवाही– मे0 के0पी0टी0एल0)

- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्र सं0 344/डब्लू–17/2020–21 दिनांक 04.06.2021 के क्रम समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के पूर्ण होने के उपरान्त टेल इन्ड एवं क्रिटिकल प्वाइंट पर मिनिमम टर्मिनल हेड 07 मीटर प्राप्त किया जायेगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म मे0 के0पी0टी0एल0 की होगी। इनका अन्तिम भुगतान फर्म द्वारा प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं अधिशासी अभियन्ता सिचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/सिचाई विभाग/ मे0 के0पी0टी0एल0)

- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा शासनादेश संख्या 07/2022/430/छिहत्तर–1–2022–25सम/2019, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2022 के क्रम रू0 05.00 करोड से कम लागत के 09 नग प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल निगम/ मे0 के0पी0टी0एल0)

अन्त में बैठक जिलाधिकारी/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सधन्यवाद समाप्त हुयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कौशाम्बी।

पत्रांक 356 / W-81 /134 दिनांक – 04.03.23

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
2. जिला विकास अधिकारी, कौशाम्बी ।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, कौशाम्बी ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कौशाम्बी ।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कौशाम्बी ।
6. जिला कृषि अधिकारी, कौशाम्बी ।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
8. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिर्सोर्सेस/सिंचाई कौशाम्बी।
9. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
10. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी ।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 के0पी0टी0एल0 कौशाम्बी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी ।